न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए एस

प्रथम राजस्व अपील संख्या — 11 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तेजसिंह पुत्र नाथूसिंह जी, जाति रावणा राजपूत, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.बाबुसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, कौम रावणा राजपूत, निवासी आहोर,जिला जालोर 2.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर दिनाक 29.12.2016(प्रकरण सं. 19 / 2015)

उपस्थिति :–
1.श्री उत्तमकुमार गहलोत,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 26.10.2017

1. अपीलांट के अनुसार अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निगरानी एल आर /6096 / 2013 जिला जालोर, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में दिनांक 3.9.2015 की स्वीकार हुई जिस पर तहसीलदार आहोर को आदेश हुआ कि उभयपक्ष के वसीयत बाबत् अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार आहोर पुनः गुणावगुण पर उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करने हेतु निगरानी स्वीकार की गई है। तहसीलदार आहोर द्वारा प्रकरण स. 19 / 2015 में वसीयत के साक्ष्य में अशोकसिंह पुत्र रणछोडसिंह को अप्रार्थी सं.1द्वारा प्रस्तुत फर्जी अशोकसिंह पुत्र रणछोडसिंह द्वारा नोटेरी की मिलीभगत से नोटेरी द्वारा तस्दीकसुदा फर्जी शपथपत्र बनाकर प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर तहसीलदार ने अशोकसिंह की साख को फर्जी मानते हुए एक झूठे शपथपत्र के आधार पर साक्षी नं. 1का निर्णय में लिखा हैं कि साक्षी सं. 1 ने वसीयतनामा में अनभिज्ञता जाहिर कीहै जो सरासर गलत लिखा है क्योंकि खुद साक्षी नं.1 के तहसीलदार द्वारा बयान लेने से इन्कार करने पर तहसीलदार आहोर को एक प्रार्थनापत्र मय शिकायत डाक

बीघा 6 बिस्वा खातेदारी मौजा आहोर में प्रार्थी (अपीलांट) व अप्रार्थी सं.1 के दादा नाथूसिंह के पिता शंकर पुत्र रूगनाथ कौम दरोगा के नाम की थी, शंकर पुत्र रूगनाथ की फौत हो पर यह आराजी नाथूसिंह पुत्र शंकर के नाम पुश्तैनी दर्ज होने से दर्ज हुई तथा साबिक गत खसरा नम्बर 893 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता नाथूसिंह ने जरिये बैचाननामा समीया वल्द गेना कौम नाई साकिन आहोर से खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण सं. 131 दिनांक 15.6.1963 में सरपंच, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा स्वीकृत किये जाने पर नाथूसिंह पुत्र शंकर के नाम स्वअर्जित हुई। मौजा आहोर के साबिक खसरा नम्बर 893 (समीया वल्द गेना नाई से खरीदसुदा) साबिक खसरा नम्बर 892 (पुश्तैनी) आराजी के नवीन खसरा नम्बर बनाते समय दोनो आराजी को मिलाकर खसरा नम्बर 771 बनाया जाकर नाथूसिंह पुत्र शंकर जाति रावणा राजपूत निवासी आहोर के नाम दर्ज की गयी जो गलत है क्योंकि इसमें 8 बीघा 19 बिस्वा की आराजी पुश्तैनी न होकर खरीदसुदा स्वअर्जित थी जिसके सबूत में अपीलांट ने संवत् 2009 से 2028 की अलग अलग नाम से मिसल बन्दोबस्त व अलग—अलग नामान्तरकरण की प्रति प्रकरण सं. 19/2015 में तहसीलदार को दस्तावेज के रूप में पेश किये थे जिस पर कोई ध्यान नही दिया गया। गत खसरा नम्बर 893 की खरीदसुदा भूमि को पुश्तैनी भूमि मानते हुए वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण किया जाना नियम विरूद्ध माना जो सरासर गलत है क्योंकि तहसीलदार ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि द्वितीय सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूल किये जाने के कारण नाथूसिंह वल्द शंकरसिंह के वर्ष 1984 में फौत होने के उपरान्त पटवारी हल्का आहोर ने उनके वारिसान् प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 व उनकी माता मैथीबाई के अलावा उनकी तीन पुत्रियां—सागरदेवी, रतनदेवी,शौभादेवी जो सन् 2007 तक जीवित थी तो नामान्तरकरण सं.28 दिनांक 1.8.1987 को गलत भरा गया ,जो तीन पुत्रियों के नाम न भरकर केवल प्रार्थी व अप्रार्थी तथा मैथीबाई के नाम भरकर ग्राम पंचायत आहोर द्वारा स्वीकृत किया जो सरासर गलत था। निर्णय में बताया कि मैथीबाई द्वारा स्वअर्जित भूमि नही है ,के उत्तर में यह हैं कि तहसीलदार ने इन तथ्यों पर ध्यान नही दिया कि साबिक गत खसरा नम्बर 893 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा की आराजी के हाल खसरा नम्बर 771 को अलग—अलग 1/3/,1/3 दिया हो तो उसमें मैथीबाई के पति नाथूसिंह की फौतगी उपरान्त इस आराजी के मुख्य अधिकारिणी मृतक की पत्नि मैथीबाई होती क्योंकि यह 8 बीघा 19 बिस्वा की आराजी पुश्तैनी नही होकर मैथीबाई के पति नाथूसिंह के द्वारा समीया से खरीदसुदा स्व अर्जित आराजी थी जिसको हस्तान्तरण करने का प्रथम अधिकार मैथीबाई के पति

नाथूसिंह को था किन्तु उनकी मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण अधिकार स्वतः ही मृतक की पत्नि को निहित हो जाते है, उक्त तथ्यों को इग्नोर कर निर्णय पारित करने में तहसीलदार ने भारी भूल की है। तहसीलदार द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि साबिक खसरा नम्बर 892 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा की आराजी के हाल खसरा नम्बर 771 को अलग–अलग 1/3 पुश्तैनी व 1/3 स्व अर्जित दिया होता तो उसमें नाथूसिंह की फौतगी उपरान्त प्राथी व अप्रार्थी सं.1 व माता मैथीबाई का 1/3 पुश्तैनी व 1/3 स्व अर्जित अलग–अलग हिस्सा होता जिसमें से अप्रार्थी सं.1 ने अपने 1/3 हिस्सा बंट को जरिये इकरारनामा दिनांक 9.4.1993 को प्रार्थी के पक्ष में हक तर्क किया है। उक्त तथ्यों को तहसीलदार ने इग्नोर किया है। तहसीलदार ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि मृतक नाथूसिंह की पत्नि मैथीबाई अपनी स्वेच्छा से जरिये वसीयतनामा दिनांक 12.1.2001 को अपने हिस्से की 1/3 बंट की आराजी प्राथी को वसीयत स्वरूप प्रदान की है। उक्त तथ्यों को इग्नोर कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2016 को निरस्त किया जाकर मौजा आहोर के खसर नम्बर 893 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा जो मृतक नाथूसिंह के खरीदसुदा स्वअर्जित आराजी में मृतक की पत्नि मैथीबाई द्वारा की गई वसीयत के आधार पर प्रार्थी के हक में घोषित की जाकर हाल खसरा नम्बर 771/1328 के दो अलग अलग बंट आवंटित करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को आदेश करावे। अपीलांट ने अपील के साथ शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल पेश की जिस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व लिखित बहस भी पेश की। अप्रार्थी सं.1के वकील ने बताया कि वसीयतनामें के आधार पर संवत् 2008 में उक्त प्रार्थनापत्र तहसीलार आहोर के न्यायालय में पेश किया था जो तेजसिंह बनाम बाबूसिंह, प्रकरण सं. 5/2008 दर्ज कर तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 30.6.20096 को तेजसिंह का प्रार्थनात्र खारिज किया, जिसके विरूद्ध तेजसिह ने ए.डी.एम.कोर्ट जालोर में अपील पेश की जो तेजसिंह बनाम बाबूसिंह,अपील सं.39/2009 दर्ज होकर दिनांक 8.3.2010 को खारिज कर दी ,इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट तेजसिंह ने अति संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील पेश की जो अपील सं. 42/2010 दर्ज होकर दिनांक 19.9 2013 को अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध

अपीलांट तेजसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी पेश की जो निगरानी सं.एल आर/ 6096/2013/जालोर दर्ज होकर दिनांक 3.9.2015 को निगरानी को रिमाण्ड कर वसीयत की विस्तृत जांच कर निर्णय करने का तहसीलदार आहोर को आदेश दिया जिस पर तहसीलदार आहोर ने प्रकरण सं.19/2015,तेजसिंह बनाम बाबूसिंह वगैराह दर्ज कर विस्तृत जांच कर पुनः तेजसिंह के विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.12.2016 को पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील तेजसिंह ने पेश की है परन्तु वसीयत में दर्शित भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसकी वसीयत नही की जा सकती है। उक्त भूमि नाथू वल्द शंकर के नाम थी ,नाथू की फौतगी के बाद मैथीबाई पत्नि –नाथूसिंह एवं बाबूसिंह व तेजसिहं पुत्रगण नाथूसिंह के नाम दर्ज हुई जो राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि यह भूमि मैथीबाई की स्वअर्जित भूमि नही थी, इस कारण मैथीबाई को वसीयत करने का कोई अधिकार नही रह जाता है। आहोर के खसरा नम्बर 771 विवादित आराजी है जबकि तेजसिंह द्वारा राजस्व मण्डल व अन्य न्यायालयों में उक्त भूमि को विवादरहित बताया है,खसरा नम्बर 771 एक इकरारनामें को लेकर खातेदारी हेतु वाद ए.सी.एम.कोर्ट जालोर में पेश किया था जो तेजसिंह के हक में निर्णय हुआ था जिसके विरूद्ध बाबूसिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही में अपील पेश की थी जिसमें ए.सी.एम.कोर्ट जालोर के निर्णय को अपास्त किया था,जिसके विरूद्ध तेजसिंह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चाराजोई की थी वहां पर भी तेजसिंह की अपील खारिज की थी तथा माननीय रा.म. के निर्णय के विरूद्ध तेजसिंह ने माननीय राज. उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पेश की थी जो रिट सं. 13456/2012 तेजसिंह बनाम बाबूसिह पेश की जो अभी भी लम्बित है। इसी प्रकार तेजसिंह ने जो वसीयतनामा पेश किया है जो 100/–रू.के स्टाम्प पर लिखा गया है उस स्टाम्प के प्रथम पेज यानि स्टाम्प पर जो वसीयत लिखी है उस पर मैथी बाई का अंगूठा नही है ,द्वितिय पेज जो पाईपेपर पर लिखा है उस पर अंगूठा है, मैथीबाई के खाली पेपरों पर दावे के दौरान तेजसिंह ने कई अंगूठे ले लिये थे ,उस पर यह फर्जी वसीयत की है ,वसीयत में साख डालने वाला अशोकसिंह वर्ष 2001 में 14 साल का था एवं तेजसिंह व बाबूसिंह के मध्य फौजदारी मुकद्मे भी चले है जो सी.जी.एम.कोर्ट जालोर में प्रकरण सं. 390/93 में तेजसिंह को दण्डित किया गया है। इसी प्रकार माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर ने एक प्रकरण सरकार बनाम तेजसिंह वगैराह जो प्रकरण सं. 1/2000 में भी तेजसिंह ने अपने आप को चरलू के गोद जाना बताया है। इस प्रकार तेजसिंह द्वारा प्रस्तुत वसीयत

फर्जी तरीके से तैयार की गई है एंवं वसीयत में वर्णित खसरा नं.771 पुश्तैनी है जो मैथीबाई के पति नाथूसिंह का था एवं नाथूसिंह के फौतगी के बाद मैथी बाई व उसके पुत्रों को मिला है ,इस कारण उक्त जमीन मैथीबाई की स्वअर्जित सम्पति नही है, वसीयत गलत तरीके से तैयार की हुई होने से यह अपील खारिज की जावे।

3. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के प्रकरण सं. निगरानी/एल.आर./6096/2013/जालोर, तेजसिंह बनाम बाबूसिंह वगैराह में निर्णय दिनांक 3.9.2015 द्वारा इस प्रकरण मे तहसीलदार आहोर को पुनः गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये जिस पर तहसीलदार आहोर ने नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण सं. 19/2015 तेजसिंह बनाम बाबूसिंह दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 29.12.2016 को निर्णय पारित कर प्रार्थी श्री तेजसिंह का प्रार्थनापत्र बाबत् वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण सुनवाई का अस्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्ष के अधिकार निर्धारित नही होते है। अधिकारों के निर्धारण के लिये पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते है। अतः पक्षकार वसीयत से उत्पन्न अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय मे अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। वसीयतनामें पर बतौर गवाह अशोकसिंह व मदनसिंह के हस्ताक्षर है। वसीयतनामा की पुष्टि के लिए किसी एक गवाह के बयान होना जरूरी है। तहसीलदार जालोर के निर्णय दिनांक 29.12.2016 अनुसार साक्षी नं.1 अशोकसिंह ने तहसीलदार आहोर के न्यायालय में दिनांक 20.11.15 के प्रस्तुत शपथपत्र में उसके सामने कोई वसीयत नही लिखना बताया है जिससे वसीयतनामा की पुष्टि नही होती है। मौजा आहोर के खसरा नम्बर 771 रकबा 2.40 हेक्टर गत खसरा नम्बर 891,892,893से बने है जो नाथू वल्द शंकर के नाम से थे। द्वितीय सैटलमेन्ट से उक्त खसरा नम्बरो से नया खसरा नम्बर 771 बना, तब भी नाथू वल्द शंकर के नाम से दर्ज था, नाथू के फौत होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में उसके दोनो पुत्रों अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.1 तथा पत्नि मैथीबाई के नाम भूमि दर्ज हुई। इससे यह साबित होता हैं कि विवादित भूमि स्व. मैथीबाई का हक अधिकार स्वअर्जित नही होकर उत्तराधिकारी के रूप में था तथा जब भूमि स्वअर्जित नही थी तो फिर मैथीबाई को वसीयत करने का अधिकार नही था। अतः तहसीलदार आहोर ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही

अस्वीकार किया है जो सही है। पुश्तैनी भूमि में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण किया जाना नियम विरूद्ध है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 29.12.2016(प्रकरण सं. 19/2015) विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय, आज दिनांक 26.10.2017 को खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर